

15.09.25

पत्रावली वेश हुई । ककील वादी या वादी स्वंप  
उपस्थित नहीं । बार-बार आवाज लगाने पर भी  
उपस्थित नहीं हुए । अतः वादीगण को यह वादपत्र  
अदम पेशी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर  
स्वार्ज किया जाता है । पत्रावली बाद तरीक  
तकमील होकर दाखिल दफ्तर है ।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय  
में सुनाया गया ।

(सुनीलकुमार चौधन)  
R.A.S.